1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 376/2018

उनवान

1– कमरुदीन पिता मोहम्मद हुसैन नीलगर, निवासी भैरुखेडा हुरडा ।

– प्रार्थी

बनाम

1– मीराबक्ष पिता रसूल बक्ष नीलगर, निवासी भैरुखेडा, हुरडा ।
2– गनी मोहम्मद पिता रसूल बक्ष नीलगर, निवासी भैरुखेडा, हुरडा ।
3– अल्लादीन पिता रसूल बक्ष नीलगर, निवासी भैरुखेडा, हुरडा ।
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ।

–विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री युगल किशोर व्यास वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) , राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:आदेश:–

दिनांक– 29.06.2018

1– प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि है ग्राम आगुँचा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1668 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा आराजी नम्बर 1669 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर– 4654 रकबा 14 बिस्वा किता 3 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है।

2 प्रार्थी विपक्षीगण की आराजियात जिसमे से होकर आने जाने वाले रास्ते से कृषि उपकरण आदि अपनी आरजियात मे वर्षो से लाते ले जाते रहे है लेकिन विपक्षीगण ने रास्ते के उपयोग उपभोग मे व्यवधान उत्पन्न किया तथा वर्तमान मे अपनी आराजियात मे आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है ।

3 आराजी नं. 4655 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज रेकार्ड है प्रार्थी द्वारा उक्त विपक्षीगण सं. 1 से 3 को आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी की जमीन पर जाने एवं काश्त करने हेतु रास्ता लेने के लिए काफी समय से प्रयास किया जा रहा है ।

4 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क अधिनियम सं. 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत नया रास्ता दिलवाने

Scanned by CamScanner

का आदेश प्रदान करावें। मुझे अपनी आराजियात मे जाने हेतु 20 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है एवं जिस माध्यम से लघुत्तम नजदीक मार्ग है जो आराजी नम्बर 4655 से होते हुये प्रार्थी की आराजी नम्बर 1668, 1669, 4654 कुल किता 3 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा मे जाने का नया रास्ता बनाया जा सकता है । जिसमे किसी अन्य खातेधारक को कम से कम कठीनाई होगी इसक लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए प्रार्थी सदैव तैयार है । अंत मे अंकित किया गया कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम आगुँचा के आराजी नम्बर 1668, 1669, 4654 कुल किता 3 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा मे आने जाने के लिए 20 फीट रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें । एवं माफीक आदेश राजस्व रेकार्ड मे उक्त रास्ते को इन्द्राज करने का आदेश प्रदान करावें ।

5 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं. 1 से 3 अनुपस्थित रहे है। विपक्षीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे जो बाद सर्विस शामिल पत्रावली है।

6 तहसीलदार हुरड़ा से मौके की रिपोर्ट तलब की जाने पर तहसीलदार हुरड़ा द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2018 दिनांक 29.06.2018 से मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है । जिस अनुसार वर्तमान मे प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होना तथा आराजी नम्बर 4655 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा मे से 02 बिस्वा मे नया रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

7 तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई वक्त बहस प्रार्थी ने तहसीलदार की रिपोर्ट को सही होकर स्वीकार किया जाना जाहिर किया है ।

8 मैंने वकील प्रार्थी की बहस को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा हैं। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 मौजा आगुँचा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 1668, 1669, 4654 कुल किता 3 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा अन्य आराजीयात के साथ कमरुदीन पिता मोहम्मद हुसैन नीलकर मुसलमान साकिन भैरुखेडा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

9 यहां प्रार्थी का कथन है कि उनकी कृषि आराजियात मे आवागमन का कोई रास्ता नहीं है । चूंकि प्रार्थी को उनकी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए निकटतम रास्ता आराजी नम्बर 4654 मे से 02 बिस्वा भूमि दिया जाना तहसीलदार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है ।

10 ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भी अत्यधिक आवश्यक प्रतीत हुआ है तथा

Scanned by CamScanner

अन्य दुसरा कोई विकल्प न होने के कारण न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए तहसीलदार हुरड़ा द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जावें । ताकि वह अपने खेतो पर आ जा सके कृषि कार्य कर सके । तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि :-

—: आदेश :—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मौजा आगुँचा तहसील हुरडा आराजी नम्बर 4654 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा मे से रकबा 02 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण मीराबक्ष, गनी मोहम्मद, अलादीन पिता रसूलबक्ष कोम नीलगर मुसलमान साकिन भैरुखेडा के खाते मे से कम की जाकर गे.मू. रास्ते मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । चूंकि अप्रार्थी प्रतिकर की रकम प्राप्त करने पर सहमत नहीं होने से अधिनियम की धारा–251 क के नियम–69(1) मे दिये गये प्रावधानानूसार राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम–58 के उप नियम (2) के अधिन अवधारित दरों (डी.एल.सी.) का दुगुनी राशि प्रार्थी के द्वारा जमा करायी जाने पर तहसीलदार हुरड़ा को तहरीर जारी की जावें । उप पंजियक हुरडा के द्वारा भूमि प्रतिकर की राशि 22,518/– रूपये होना बताया गया है । वकील प्रार्थी ने उक्त राशि जमा कराना चाहने से तहसीलदार हुरडा को लिखा जावें की प्रार्थी से भूमि प्रतिकर की राशि 22,518/–रूपये प्राप्त कर अमानत मद मे जमा करावें तथा भूमि प्रतिकर की राशि जमा होने के पश्चात संलग्न नक्शा के अनुसार मौजा आगुँचा प्रथम तहसील हुरड़ा आराजी नम्बर 4654 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा मे से रकबा 02 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण मीराबक्ष, गनी मोहम्मद, अलादीन पिता रसूलबक्ष कोम नीलगर मुसलमान साकिन भैरुखेडा के खाते मे से कम की जाकर गै.मू. रास्ता सार्वजनिक बिलानाम मे दर्ज किया जावें । पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner